

पत्र संख्या-वन भूमि-27/2021- 354 व०प०, राँची, दिनांक- 10-02-2022

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय :- लातेहार वन प्रमंडल अंतर्गत लाई खालसा पी०एफ० एवं पैलापथल पी०एफ० में कुल 166.00 हे० वनभूमि का पलामू व्याघ्र परियोजना के लाटू, कुजरूम एवं अन्य गाँवों के स्वेच्छिक पुनर्वास हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1462 दिनांक-06.12.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

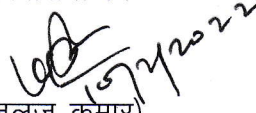
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-8-34/2017-FC दिनांक-20.05.2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अपयोजन में कम-से-कम वृक्ष का पातन हो।
- अन्य मानक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-27/2021- 354 व०प०, राँची, दिनांक- 10-02-2022

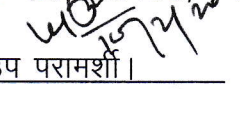
प्रतिलिपि-वन उप महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।


उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-27/2021- 354 व०प०, राँची, दिनांक- 10-02-2022

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर, पलामू-822101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 166 ha. of Forest Land of Lai KRF and Pailapathal RF of Latehar Range, Latehar Forest Division for Relocation of Kujrum, Latu & other Villages from Palamau Tiger Reserve, Daltonganj, Jharkhand.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 166 ha. of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-354 dated-10-02-2022


Name & Designation: Rajdeep Sanjay Lal John
Joint Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi